

केन्द्र/राज्य सभा पत्र पर रखे जाने वाले पत्र
अधिसूचना
दिनांक 5 जनवरी 2007
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली
रजिस्ट्रार सं. डी.एल. 33004/99

Paper to be laid on the Table of Lok/Rajya Sabha.
AUTHENTICATED
Date 5 January 2007
New Delhi
Minister of Overseas Indian Affairs.

REGD. NO. D. L. -33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 6, 2007/पौष 16, 1928
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 6, 2007/PAUSA 16, 1928

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली; 5 जनवरी, 2007

का.आ. 12(अ).—केन्द्रीय सरकार नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिकारों को, जिनके लिए, उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन भारत के प्रवासी नागरिकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से हकदार होंगे, विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

1. भारत के रजिस्ट्रीकृत प्रवासी नागरिकों को, भारतीय बालकों के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण करने के विषय में अनिवासी भारतीयों के समान समझा जाएगा।

2. भारत के रजिस्ट्रीकृत प्रवासी नागरिकों को, भारत में घरेलू क्षेत्रों में वायुयान भाड़े के टैरिफ विषय में निवासी भारतीय राष्ट्रिकों के समान समझा जाएगा।

3. भारत के रजिस्ट्रीकृत प्रवासी भारतीय से, वही प्रवेश फीस प्रभारित की जाएगी जो घरेलू भारतीय अतिथियों से भारत में राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव अभ्यारण का परिदर्शन के लिए प्रभारित की जाती है।

[फा. सं. ओ आई-16011/10/2006-डीएस]

मलय मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2007

S.O. 12(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7B of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby specifies the following rights to which persons registered as Overseas Citizens of India under Section 7A of the said Act, shall be entitled, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

1. Registered Overseas Citizens of India shall be treated at par with Non-Resident Indians in the matter of inter-country adoption of Indian children.

2. Registered Overseas Citizens of India shall be treated at par with resident Indian nationals in the matter of tariffs in air fares in domestic sectors in India.

3. Registered Overseas Citizens of India shall be charged the same entry fee as domestic Indian visitors to visit national parks and wildlife sanctuaries in India.

[F.No. OI-16011/10/2006-DS]

MALAY MISHRA, Jt. Secy.